

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 166/2022

निर्णय दिनांक : 26.10.2023

1. श्रीमती अंजना पत्नी श्री गोपाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
2. श्रीमती अर्चना पत्नी राधारमण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।
3. केदारलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
4. गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. वी.के. गर्ग पुत्र श्री नीदरमल जाति अग्रवाल निवासी सैक्टर न0 3 मकान नम्बर 10/80 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद जिला गाजियाबाद युपी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाके ग्राम वाटिका तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 28 पुराना 15 के हाल खसरा नम्बर 4310 रकबा 0.09 हैक्टेयर का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तकारामा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार
किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	4310	0.09	चाही ए	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 8/45 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार कार्यालय ए-गणपति एन्क्लेव अजमेर रोड जयपुर हिस्सा 8/25 खातेदार, अर्चना पत्नी राधारमण हिस्सा 8/45 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, केदारमल पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 8/45 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल हिस्सा 8/45 जाति मकान निवासी सीबी 10, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 8/45 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, वी.के. गर्ग पुत्र नीदरमल हिस्सा 1/9 जाति अग्रवाल सैक्टर नम्बर 3 मं.न 10/80 राजेन्द्र नगर साहिबा बाद जिला गाजियाबाद यू.पी. खातेदार
कुल किता	1	0.09		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज					
क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित ख.न.	प्रस्तावित रकबा	किस्म	वि.व
1.	वी.के. गर्ग पुत्र नीदरमल हिस्सा 1/9 जाति अग्रवाल सैक्टर नम्बर 3 मं.न 10/80 राजेन्द्र नगर साहिबा बाद जिला गाजियाबाद यू.पी. खातेदार	4310 में से	0.01	चाही ए	
	कुल किता	1	0.01		
2.	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार कार्यालय ए-गणपति एन्क्लेव अजमेर रोड जयपुर हिस्सा 1/5 खातेदार, अर्चना पत्नी राधारमण हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, केदारमल पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल हिस्सा 1/5 जाति मकान निवासी सीबी 10, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल निवासी जनता कॉलानी जयपुर खातेदार,	4310 में से	0.08	चाही ए	
	कुल किता	1	0.08		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)